



राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-121/

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सम्राट इंटरनेशनल प्रो. श्री आशीष अग्रवाल द्वारा ग्रेनाइट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना ग्राम-झांग, तहसील-अंराई, जिला-अजमेर जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.स.	प्रोजेक्ट का नाम	प्लॉट संख्या एवं खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम)
1	श्रीमति रेणु ढाका	45, 44/2018	1.0	121240
2	मैसर्स सम्राट इंटरनेशनल खंसरा सं 522	33, 34/2018	1.0	101500
3	मैसर्स सम्राट इंटरनेशनल खंसरा सं 522	34, 36/2018	1.0	121800
4	श्री श्रवण सिंह	35, 39/2018	1.0	70200
5	मैसर्स वीर तेजा एसोशिएट	36, 38/2018	1.0	101640
6	मैसर्स वीर तेजा एसोशिएट	37, 33/2018	1.0	98977
7	मैसर्स वीर तेजा एसोशिएट	38, 32/2018	1.0	101119
8	मैसर्स वीर तेजा एसोशिएट	39, 35/2018	1.0	92171
9	मैसर्स दिक्शा कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स	40, 37/2018	1.0	94383
10	मैसर्स वर्धमान कोल	41, 40/2018	1.0	100000
11	डॉ. संजय भारद्वाज	42, 42/2018	1.0	116942
12	मैसर्स वर्धमान कोल	43, 31/2018	1.0	132048
13	मैसर्स राज लक्ष्मी मार्बल	46, 43/2018	1.0	101080
14	मैसर्स सुन्दरम ग्रेनस्टोन	48, 46/2018	1.0	70200
15	मैसर्स पिक सिटी कॉमर्शियल प्रा. लि.	प्लॉट संख्या 47	1.0	66275

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 15.0 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-1489575 टीपीए (आर.ओ.एम.) ग्राम झांग, तहसील अंराई, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स सम्राट इंटरनेशनल प्रो. श्री आशीष अग्रवाल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-अंराई, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, भामोलांव, तहसील अंराई, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/9473 दिनांक 15.07.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 28/08/2021 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान - राजीव गांधी सेवा केन्द्र, भामोलांव, तहसील अंराई, जिला-अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

Deepak Sanwar
(दीपक तँवर)

पर्यावरण अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी